नियम 48 : कार्यवाही जनता के लिए खुली होगी

अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही जनता के लिए खुली होगी :

परंतु अपील न्यायाधिकरण, यदि उचित समझे, किसी विशेष मामले की कार्यवाही के किसी भी चरण में आदेश दे सकेगा कि आम जनता या किसी विशेष व्यक्ति को अपील न्यायाधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले कक्ष या भवन तक पहुंच नही होगी, या वह वहां नहीं होगा या नहीं रहेगा।